न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

मु0नं0 84/17

तारीख रजू :—29.11.2017

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह यादव (R.A.S.)

भरोसी पुत्र जगन जाति गुर्जर निवासी बाडा वाजीदपुर तह0 नादौती जिला करौली।

...... सायल

बनाम

1. बदरी पुत्र जगन
2. गिर्राज पुत्र जगन
3. ब्रहमसिंह | पि0 रामप्रसाद
4. हाकिमसिंह |
5. रेशम | पुत्रीयान् रामप्रसाद
6. केशन्ती |
7. रूमा |
8. महेश |
9. जितेन्द्र | पि0 रामसिंह
10. देवेन्द्र |
11. सुशीला पुत्री रामसिंह
12. कमला बेवा रामसिंह

सभी जाति गुर्जर निवासी बाडा वाजीदपुर तहसील नादौती जिला करौली।

13. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नादौती जिला करौली।
14. बैंक ऑफ बडौदा शाखा नादौती जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा नादौती।

.... गैरसायलान्

प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा
तहत् धारा 212 राज.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक :— 30.05.2018

प्रार्थना पत्र में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि सायल व गैरसायल सं0 1 गायत 12 की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 182 रकवा 47 यर, खसरा नम्बर 201 रकवा 3 ऐयर गै0मु0 चाह, खसरा नम्बर 202 रकवा 82 ऐयर,

सरा नम्बर 481 रकवा 76 ऐयर, खसरा नम्बर 599 रकवा 2 ऐयर गै0मु0 चाह, खसरा म्बर 1006 रकवा 1.19 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकवा 3.29 हैक्टर वाकेतन ग्राम बाडा ाजीदपुर, तहसील नादौती में स्थित है, उक्त आराजीयात में सायल का 1/4 हिस्सा, रसायल सं0 1 का 1/4 हिस्सा, गैरसायल सं0 2 का 1/4 हिस्सा व गैरसायल सं0 3 ागायत 12 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा है। सायल व गैरसायल ने उक्त ाराजीयात का मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है, परन्तु गैरसायल सं0 1 व 2 चाहे ाब बाहमी बंटवारे से मुकर जाते है एवं बेईमानी व बदयान्ति से सायल के हिस्से में ाई भूमि के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न करने लगते हैं, इस समस्या का स्थाई समाधान करने हेतु प्रार्थना पत्र हाजा वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। आराजी हाल खसरा नम्बर 201 रकवा 3 ऐयर, खसरा नम्बर 202 रकवा 82 ऐयर वाकेतन ग्राम बाडा वाजीदपुर सायल व गैरसायल के रिहायश के काम आ रही है, 26 ऐयर रकवा खसरा नम्बर 202 का उत्तर दिशा की तरफ का शामलाती रूप से खाली पडा हुआ है। आराजी खसरा नम्बर 201 रकवा 3 ऐयर गै0मु0 चाह का रकवा है। इसलिए कुंए के रूप में न होकर उसका रकवा आबादी के काम आ रहा है। खसरा नम्बर 202 रकवा 82 ऐयर भूमि भी सायल व गैरसायलान ने आवासीय काम में ले रखी है, उक्त दोनों खसरा नम्बरान् को मिलाकर 85 ऐयर रकबे का उपयोग उपभोग सायल व गैरसायलान ने आवासीय प्रयोजन में कर रखा है। खसरा नम्बर 202 रकवा 82 ऐयर में से 26 ऐयर रकवा मौके पर खाली पडा हुआ है। खसरा नम्बर 201 रकवा 3 ऐयर व खसरा नम्बर 202 के रकबे में बनी हुई है, 26 ऐयर रकवा खसर नम्बर 202 में शामलाती पडा हुआ है, उक्त 85 ऐयर भूमि का बराबर चार भागों में विभाजन होना चाहिए, परन्तु गैरसायल सं0 1 व 2 उक्त 85 ऐयर रकबे में से खाली पडे हुए 26 ऐयर रकबे को स्वयं हडप करना चाहते है एवं सायल व गैरसायल सं0 3 लगायत 12 को कोई हिस्सा देना नहीं चाहते है। सायल अपने हिस्से में आई भूमि में ही अपनी पुत्रवधु व पौत्रवधु के लिए लेट्रिन बाथरूम का निर्माण करवा रहा था, जिसे गैरसायल सं0 1 ने माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर रूकवा दिया है। सायल के हिस्से की भूमि में कोई निर्माण नहीं करने देगें इसलिए सायल को यह प्रार्थना पत्र बावत् अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। दिनांक 19.11.2017 को गैरसायलान को एलानिया धमकी दी कि हम तुझे वादग्रस्त भूमि का सुख शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग

हीं करने देगें, तुम्हारे हिस्से की पूरी जमीन तुम्हें नहीं लेने देगें, तुम्हें कम हिस्सा देगें। ायल ने उनसे विधिवत विभाजन करवाने के लिए कहा तो गैरसायलान ने इन्कार कर देया। इसलिए दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सायल स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान ो दौराने दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे, कि वह ाराजी खसरा नम्बर 182 रकवा 47 ऐयर, खसरा नम्बर 201 रकवा 3 ऐयर गै0मु0 चाह, ख़सरा नम्बर 202 रकवा 82 ऐयर, खसरा नम्बर 481 रकवा 76 ऐयर, खसरा नम्बर 599 कवा 2 ऐयर गै0मु0 चाह, खसरा नम्बर 1006 रकवा 1.19 हैक्टर कुल किता 6 कुल कवा 3.29 हैक्टर वाकेतन ग्राम बाडा वाजीदपुर, तहसील नादौती में सायल के 1/4 हिस्से के उपयोग उपभोग में सायल को किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें, ा ही किसी अन्य से करावे, सायल को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल नहीं करें, सायल को अपने हिस्से की भूमि में कोई निर्माण करने से नहीं रोके तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करे, जिससे सायल के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडे एवं हकतलफी हो, सायल को शांतिपूर्ण तरीके से सायल के हिस्से की आराजीयात को काश्त करने दें व उपयोग-उपभोग करने दें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को वास्ते पेश करने जबाव नोटिस जारी किये गये। नोटिस वाद तामील शामिल मिसल किये गये।

गैरसायल सं0 14 की ओर से जबाव प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रार्थन पत्र का मद नं0 1 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का मद नं0 2 में वर्णित भूमि ग्राम बाड वाजिदपुर में स्थित है तथा मौके पर भूमि का घरेलू बंटवारा हो रहा है। प्रार्थना पत्र व मद नं0 3 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का मद नं0 4, 5 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का म नं0 6 मोहताज जबाव नहीं है। प्रार्थना पत्र का मद नं0 7 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र मद नं0 8 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का मद नं0 9 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के मद 10 में वर्णित कथन स्वीकार है।

विशेष

सायल की भूमि प्रार्थना पत्र में अंकित है, प्रार्थी/गैरसायल नं0 14 के रहन दर्ज है, ऋण/के.सी.सी जमा कराये रिकार्ड में तब्दील किया जाना संभव नहीं है।

पत्रावली आज लोक अदालत/न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम चायत कैमरी में पेश हुई। जिसमें सायल व गैरसायलान को सुना गया। सायल ने ार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि गैरसायलान को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे सायल के हिस्से 1/4 भूमि में किसी कार की दखलान्दाजी नहीं करें, ना ही किसी अन्य से करावें। शान्तिपूर्वक काश्त करने वें। गैरसायलान द्वारा प्रार्थना पत्र में कोई जबाव एवं सबूत पेश नहीं किये गये। अतः रसायलान का जबाव बंद किया जाकर एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का वलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि प्रथम दृष्टया प्राईमाफेसी केश व सुविधा का संतुलन व अपूर्तिनीय क्षति तीनो ही बिन्दू सायल के पक्ष में होना तीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा तहत धारा 212 रा.टी.एक्ट सायल विरूद्ध ोरसायलान स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा तहत धारा 212 रा.टी.एक्टर सायल विरूद्ध ौरसायलान स्वीकार किया जाता है। गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ाबन्द किया जाता है कि सायल के हिस्से 1/4 में किसी प्रकार की दखलान्दाजी नहीं करें एवं शाति पूर्वक काश्त करने देवें। पत्रावली फैसल शुमार मानी जाकर वाद तकमील म्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2018 को लोक अदालत/न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत कैमरी में खुले न्यायालय सुनाया गया।

महेन्द्र सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नादौती जिला करौली